प्रारुप–30.3

परियोजना विवरण :– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.360** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.450** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.810** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 21-08-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री** सी रविशंकर **जिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– **श्री** सी रविशंकर **जिलाधिकारी** पिथौरागढ अध्यक्ष

2– श्री विनय भार्गव — प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ सदस्य

3– श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दांग धारचूला जिला पंचायत सदस्य

4– श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैंती विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य

5– श्री अमर बहादुर चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम दुतीबगड जौलजीबी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य

6– श्री ए.के. शर्मा ——जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु **0.810** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.810 हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निमाण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

जि0 पं0 सदस्य
सिर्दांग 01

कमलेश आर्या
सदस्य जिला
पंचायत मुनस्यारी
(पिथौरागढ)

जिला अधिकारी
पिथौरागढ

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No--- Dated-21.8.018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.810** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Bisar (Machinakholi , Kanari)** village (s) in **Bin (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.810** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी पिथौरागढ़

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. C. RAVI SANKAR.S deputy commissioner,. Pithoragarh on dated 21.8.018.. at time 4:00....at .P.M.: in which application claiming rights in............. area measuring 0.810 hect for the construction of **Bisar (Machinakholi , Kanari)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Bin (Pithoragarh)** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pithoragarh.
Dated:.21.8.018
Chairman

Deputy Commissioner-cum-
जिला अधिकारी
District Level Committee
पिथौरागढ़

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30.2

परियोजना विवरण :– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ

उपखण्ड पिथौरागढ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण** (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.360**हे0 सिविल सोयम वन भूमि **0.45** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.810** हे0 वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 23-06-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री संतोष कुमार पाण्डेय उपजिलाधिकारी ——————————अध्यक्ष
2– श्री कामिनी कुमार ——उप प्रभागीय वनाधिकारी——————————सदस्य
3– श्री किशन ———सहायक समाज कल्याण अधिकारी—————सदस्य/सचिव
4– श्री अनीता देवी ——बी0डी0सी0 क्षेत्र ————— अनीता देवी ————सदस्य
5– श्रीमती सुशीला देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र गोगना सदस्य
6– श्री राजेन्द्र सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र खतीगांव तल्लीसार सदस्य
7– श्री ललित प्रसाद बी0डी0सी0 क्षेत्र उपरतोला सदस्य
8– श्रीमती बिन्दू देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र निशनी सदस्य
9– श्री मनोज धपोला बी0डी0सी0 क्षेत्र दियूड़ी सदस्य
10– श्रीमती शकुन्तला देवी ग्राम वुडौली
11– श्रीमती निर्मला देवी ग्राम जजुराली
12– श्रीमती सुनीता देवी ग्राम सौड़लेख
13– श्रीमती भागीरथी देवी ग्राम जीवी
14– श्री महेश ग्राम भडकटिया

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड - मूनाकोट (पिथौरागढ़)

क्षेत्र पंचायत उपरतोला विकास खण्ड मूना. पिथौरागढ़

सदस्य क्षेत्र पंचायत भड़कटिया–प्रथम वि0ख0-मूनाकोट, पिथौरागढ़

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण** परियोजना हेतु **0.810** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण** परियोजना हेतु **0.810** हे0 वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद (तहसील) पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ
जनपद पिथौरागढ

उप जिलाधिकारी पिथौरागढ

श्रीमती सुनीता देवी कनिष्ठ प्रमुख विकास खंड-मूनाकोट (पिथौरागढ़)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

शकुन्तला देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
मुरमुनी, वि.ख.[illegible]
(पिथौरागढ़)

भागीरथी देवी

(39)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से मढीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम बिषाड़ (मढीनाखोली, कनारी)
तहसील पिथौरागढ, जिला पिथौरागढ

अनापत्ति प्रनाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से मढीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.360 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.450 हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.81 हे0 वन भूमि का **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिषाड़ द्वारा दिनांक 12-05-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम __________ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 पिथौरागड** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ... बिषाड़
विकास खण्ड ... विण
जनपद - पिथौरागढ

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

सरपंच वन पंचायत मढीनाखोली
पिथौरागढ
12-05-2018

प्रधान
ग्राम पंचायत बिषाड़
वि0ख0– विण, पिथौरागढ

तहसीलदार
पिथौरागढ

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30.4

दिनांक 12/06/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बिषाड़ (मढ़ीनायोली, कनारी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री कैलाश दत्त भट्ट	[signature]
2-	हरिवल्लभ भट्ट	[signature]
3-	दिनेश चन्द्र जोशी	[signature]
4	देवकी बल्लभ	[signature]
5	अशोक कुमार	अशोक
6	विपिन चन्द्र भट्ट	[signature]
7	कैलाश चन्द्र भट्ट	[signature]
8	जयमाला भट्ट	Jaymala
9-	चन्द्रकला भट्ट	चन्द्रकला
10	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
11-	माया देवी	माया देवी
12	पुष्पा भट्ट	पुष्पा भट्ट
13	मोहनराम	मोहनराम
14	राम दत्त भट्ट	राम दत्त
15	दिनेश कुमार	Dinesh
16	[illegible]	[illegible]
17	श्रीमती यशोदा देवी	यशोदा
18-	श्रीमती नीलम कोहली	नीलम
19	"	[illegible]
20	" लीला देवी	लीला देवी
21	" पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
22	" देवकी देवी	देवकी देवी
23	" निर्मला देवी	निर्मला देवी
24-	" सुनीता देवी	सुनीता देवी
25-	" शान्ती देवी	शान्ती देवी
26-	" राजेश्वरी देवी	राजेश्वरी

[signature]

उपप्रधान
ग्राम पंचायत बिषाड़ (मढ़ीनायोली)
पिथौरागढ़

ह0/–
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत बिषाड़
प्रधान
विकास खण्ड विण, पिथौरागढ़

Scanned by CamScanner